UPSR010003512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अवनीश गौतम) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP01682

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या – 18/2026

मालिक राम उर्फ बच्चाराम बनाम अजीत प्रताप सिंह

दिनांक 13.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र विरुद्ध विपक्षी अजीत प्रताप सिंह इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी मालिकराम उर्फ बच्चाराम पुत्र रामजस, ग्राम जमुनीकला, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती का मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति (पासी) है। प्रार्थी ने रामजस जूनियर हाईस्कूल रमवापुर धूमबोझी, जनपद श्रावस्ती में स्थित स्कूल में अपने रिश्तेदारी में रहकर कक्षा 6 तक की पढ़ाई किया। पढ़ाई की प्रार्थी की जन्मतिथि 12.12.1990 है। प्रार्थी अपने मूल ग्राम जमुनीकला में आकर रहने लगा। उस समय उसके गांव में अजीत प्रताप सिंह के पास राशन वितरण उचित दर विक्रेता का लाइसेन्स था लेकिन इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा थाना सिरसिया में पंजीकृत हुआ और कोटा निरस्त हो गया। इसके पश्चात् वर्ष 2017 में प्रार्थी को राशन वितरण उचित दर विक्रेता का लाइसेंस मिला। इस बात विपक्षी अजीत प्रताप सिंह काफी क्षुब्ध हो गये और विपक्षी ने फर्जी शिकायत इस आधार पर की कि मैं फर्जी मार्कशीट लगाकर लाइसेन्स वितरण का हासिल किया हूँ जबकि प्रार्थी ने अपनी शिक्षा रामजस जूनियर हाईस्कूल से ग्रहण किया था और विपक्षी की शिकायत को गलत पाये जाने के बावजूद भी प्रार्थी का कोटा दिनांक 30.09.2022 को निलम्बित कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोई किया था, जिस आयुक्त (खाद्य), देवी पाटन मण्डल गोण्डा ने दिनांक 09.11.2024 को आदेशित पारित किया कि एक माह में सुनवाई कर आवश्यक

निर्णय लें। इस प्रकार अभी अग्रिम कार्यवाही उपजिलाधिकारी, भिनगा के न्यायालय पर विचाराधीन है। इसी की आवश्यक पैरवी हेतु प्रार्थी दिनांक 24.01.2026 को अपने पुत्र अनिल कुमार के साथ सुबह 09 बजे अपने घर से चला था कि विपक्षी अजीत प्रताप सिंह अपने गांव के ए०एन०एम० सेंटर के सामने पहुंचा और प्रार्थी को रोक लिया और कहा कि पासी साले तुम कोटा की बहुत पैरवी कर रहे हो, तुम्हारा कोटा बहाल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो, फर्जी तरीके से मुकदमें में फंसा दूंगा। प्रार्थी ने कहा कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। इसी बात पर प्रार्थी को अपने साथ लिए बैशाखी/छड़ी से मारने लगे। प्रार्थी की हल्ला गुहार पर आ रहे राहगीरों गांव के व उसके पुत्र अनिल कुमार ने घटना को देखा व बीच बचाव कराया। विपक्षी ने जाते वक्त कहा कि यदि कहां कोई दरख्वास्त दिया, तो तुमको पासी मादरचोद निपटा देंगे और भद्दी–भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुये अपने घर चला गया। विपक्षी काफी जबरदस्त दबंग किस्म का आदमी है। प्रार्थी के गांव का कोई आदमी इनके भय से गवाह बनने को तैयार नहीं है। प्रार्थी ने इस बात की लिखित दरख्वास्त उसी दिन थाना सिरसिया में दिया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तब प्रार्थी ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 03.02.2026 को प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद, उपजिलाधिकारी भिनगा द्वारा दिनांक 26.08.2025 को पारित आदेश की नकल की छायाप्रति व उपायुक्त खाद्य मंडल, देवीपाटन, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 09.11.2024 को पारित आदेश की नकल की छायाप्रति दाखिल किया है।

पत्रावली व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई अभियोग थाने पर पंजीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा दाखिल जाति प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अनुसूचित जाति (पासी) के रूप में मान्यता दी गयी है।

आवेदन पत्र में अंकित कथनानुसार दिनांक 24.01.2026 को जब प्रार्थी, उपजिलाधिकारी भिनगा के न्यायालय पर लम्बित अपने कोटे की बहाली से सम्बन्धित मामले की पैरवी के लिये अपने पुत्र के साथ जा रहा था, तो गांव के ए०एन०एम० सेंटर के सामने विपक्षी द्वारा उसे रोककर उसे पासी साले मादरचोद की जातिसूचक गाली व जान

माल की धमकी देते हुये बैशाखी/छड़ी से मारा–पीटा गया। ऐसी स्थिति में इस संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले में विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना विधि सम्मत है, क्योंकि विवेचना के दौरान नये तथ्यों के प्रकाश में आने की सम्भावना है। अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष सिरसिया को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 13.03.2026

(अवनीश गौतम),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
जनपद श्रावस्ती।